भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2336

(दिनांक 07.08.2026 को उत्तर देने के लिए)

लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल (एलईडीसी) द्वारा की गई प्रगति

2336. डॉ. रामराव सखाराम वडकुते:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल (एलईडीसी) के गठन के पश्चात से अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है और अब तक आयोजित इसकी चार बैठकों के प्रमुख परिणाम क्या रहे;

(ख) कितने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मॉडल एग्जीक्युटिव ऑर्डर, 2026 को अपनाया है;

(ग) इंडिया सिने हब (आईसीएच) पोर्टल पर एकल-खिड़की स्वीकृति प्रणाली के माध्यम से कितनी इवेंट-संबंधी अनुमतियों का निपटान किया गया है; और

(घ) वर्ष 2030 तक भारत को लाइव इवेंट्स के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, जिसमें इवेंट आयोजकों के लिए अवसंरचना तथा व्यापार सुगमता संबंधी उपाय भी शामिल हों?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): सरकार ने लाइव इवेंट क्षेत्र को आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन तथा सांस्कृतिक संवर्धन के एक महत्वपूर्ण प्रेरक के रूप में चिन्हित किया है।

इस क्षेत्र के सतत विकास को सुविधाजनक बनाने और वर्ष 2030 तक भारत को लाइव इवेंट के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, जुलाई 2025 में लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल (एलईडीसी) का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता सचिव (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) द्वारा की जाती है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, उद्योग संघों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

एलईडीसी की चार बैठकें क्रमश: दिनांक 26.08.2025, 16.10.2025, 04.02.2026 और 30.04.2026 को आयोजित की गई और अवसंरचना को सुदृढ़ करने, विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, व्यवसाय करने में आसानी (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) को बढ़ावा देने और लाइव इवेंट क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई उपाय आरंभ किए गए हैं।
प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं:

- इस क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक कार्यनीति निर्धारित करने वाला एक कार्यान्वयन ढांचा तैयार किया गया है और सभी हितधारकों को परिचालित किया गया है।
- लाइव इवेंट्स के लिए अनुमतियों की ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है और इंडिया सिने हब (आईसीएच) पोर्टल पर कार्यान्वित की गई है। इसमें आवेदन, समन्वय, अनुमोदन, भुगतान और निरीक्षण से संबंधित कार्यों को एकल डिजिटल कार्यप्रवाह के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस प्रणाली में समयबद्ध प्रक्रिया, रियल-टाइम ट्रैकिंग, विलंब की स्थिति में एस्केलेशन, एकीकृत डिजिटल भुगतान तथा डिजिटल ऑडिट ट्रेल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आईसीएच पोर्टल पर लाइव इवेंट्स से संबंधित अनुमतियों के लिए अपने नोडल अधिकारियों को नामित किया है।
- "भारत में लाइव इवेंट्स के लिए लाइसेंस एवं अनुमतियों को सुव्यवस्थित करने हेतु मॉडल कार्यकारी आदेश, 2026" एलईडीसी द्वारा तैयार किया गया तथा दिनांक 13.03.2026 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया। वर्तमान में 3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र ने इसे अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लागू कर दिया है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित स्मारकों पर लाइव कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है और इस उद्देश्य के लिए 224 विरासत स्थलों की एक सूची साझा की है।

- ग्रीनफील्ड आयोजन स्थल विकास नीति पर एक संकल्पना-पत्र तैयार किया गया और राज्य सरकारों, खेल प्राधिकरणों तथा उद्योग जगत के हितधारकों को परिचालित किया गया है।
- कौशल विकास समिति का गठन किया गया है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने मीडिया एवं मनोरंजन कौशल परिषद तथा इवेंट एवं एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन के सहयोग से लाइव इवेंट्स से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं अल्पावधि पाठ्यक्रमों तथा अपने मौजूदा कार्यक्रमों में वैकल्पिक मॉड्यूल के संबंध में प्रारंभिक कार्य किया है।
- एलईडीसी ने आनेवाले कलाकारों एवं कर्मीदल के लिए वीज़ा तथा एफआरआरओ संबंधी सुविधाओं, खेल एवं विरासत स्थलों के उपयोग, संगीत लाइसेंसिंग को सुव्यवस्थित करने, रात्रि 10 बजे के बाद आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए अनुमतियों, कराधान तथा वित्त तक पहुंच से संबंधित मुद्दों की पहचान की है तथा इन मुद्दों को विचारार्थ संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों के साथ साझा किया है।
- एलईडीसी की अनुशंसा पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम, 2026 के अंतर्गत सेवाओं के आयात के लिए 5,00,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक की अग्रिम विप्रेषण राशि के संबंध में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। उक्त विनियम 15 जनवरी, 2026 को अधिसूचित किए गए हैं। ये दिनांक 01.10.2026 से लागू होंगे।
